

प्रेषक,

एस0 रामास्वामी,
मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

पंचायतीराज अनुभाग-1

देहरादून, दिनांक 04 अक्टूबर, 2017

विषय- ग्रामीण क्षेत्रों में 02 किमी0 तक की लम्बाई वाली सड़कों का निर्माण जिला पंचायतों के माध्यम से कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के आदेश संख्या-230(1)/XII(1)/2016-96(06)2015 T.C-I दिनांक 29.01.2016, आदेश संख्या-350/XII(1)/2016-82(05)2016 दिनांक 19.07.2016 एवं आदेश संख्या-2985/XII(1)/2016-82(05)2016 दिनांक 26.10.2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 02 किमी0 तक की लम्बाई वाली सड़कों का निर्माण कार्यदायी संस्था के रूप में जिला पंचायतों के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लेते हुए जिला सैक्टर हेतु पंचायतीराज विभाग के लिए निर्धारित योजनाओं में संशोधन करते हुए "सी0सी0 रोड एवं के0सी0 ड्रेन का निर्माण" के स्थान पर "ग्रामीण सड़क एवं सी0सी0 रोड तथा के0सी0 ड्रेन का निर्माण" पुर्ननिर्धारण किया गया था।

2- इस संबंध में शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त जिला पंचायतों को कार्यदायी संस्था के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में 02 किमी0 तक की लम्बाई वाली सड़कों के निर्माण का दिये गये कार्य को निम्न शर्तों/आदेशों के साथ वापस लिया जाता है:-

1. इस दौरान जिला पंचायतों द्वारा ग्रामीण सड़क के जितने भी कार्य प्रारम्भ कर दिए गये हैं, उसे पूर्ण किया जाएगा।
2. यदि ग्रामीण सड़क निर्माण हेतु जिला पंचायतों को धनराशि अवमुक्त कर दी गई है, लेकिन इस धनराशि से अभी कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है तो यह धनराशि नियमानुसार कोषागार में जमा किया जाएगा।
3. यदि किसी जिलाधिकारी द्वारा ग्रामीण सड़क हेतु जिला पंचायत को अभी तक धनराशि अवमुक्त नहीं की गई है तो वह धनराशि जिला नियोजन समिति की स्वीकृति से लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तित किया जाएगा।

3- तदनुसार शासन के उक्त आदेश दिनांक 29.01.2016, दिनांक 19.07.2016 एवं दिनांक 26.10.2016 अवक्रमित समझे जायेंगे।

भवदीय,

(एस0 रामास्वामी)
मुख्य सचिव

संख्या 1826 / XII(1)/2017-82(05)2016, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के संज्ञानार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 पंचायतीराज मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, वित्त/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, उत्तराखण्ड।
8. समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/संख्याधिकारी, उत्तराखण्ड।

आज्ञा से,

(हरि चन्द्र सेमवाल)
अपर सचिव